संवाद

पहली अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून देशभर में लागू हुआ। सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से देश में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयासों से शिक्षा से वंचित अनेक बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया, बच्चों के शाला त्याग की संख्या में भी कमी आई। लेकिन आज़ादी के छ: दशक बीतने के बाद आज भी हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं। ऐसे में बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के संघर्ष की राह में यह कानून मील का पत्थर है। शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का अधिकार देता है। इस कानून में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात भी की गई है। यह कानून बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की माँग करता है जो भय और तनाव से मुक्त हो। इस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिनके संदर्भ में हमें अनुशासन की पारंपरिक अवधारणाओं पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है।

यह कानून बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएगा। लेकिन सीखना तभी संभव होगा जब बच्चे को आत्मीयतापूर्ण व्यवहार मिले, शिक्षण प्रक्रिया रोचक हो, बच्चे की कमियों को शारीरिक या मानसिक दंड देकर नहीं बल्कि स्नेह से सुधारा जाए।

शिक्षा संबंधी किसी भी कानून की सफ़लता – स्कूली व्यवस्था, पाठ्यसामग्री की गुणवत्ता और उपलब्धि, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षकों की प्रतिबद्धता जैसे अनेक मुद्दों से जुड़ी है। बच्चा सफ़ल है, तो सफ़ल हैं उसके शिक्षक और सफ़ल है उसका स्कूल। स्कूल में प्रवेश करते ही बच्चे को स्नेहपूर्ण व्यवहार मिले तो सीखना उसके लिए आनंदमय बन जाता है। पहली कक्षा बुनियादी कक्षा है। इसलिए बच्चों को स्कूल से जोड़ने में पहली कक्षा के शिक्षक की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। कैसा हो पहली कक्षा का शिक्षक? क्या हैं उसके दायित्व? कैसा हो शिक्षक का बच्चों के प्रति व्यवहार? विभिन्न विषयों के शिक्षण को कैसे रोचक बनाया जाए? प्रस्तुत अंक में इन सब सवालों का जवाब देने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत अंक की शुरुआत शिक्षा का अधिकार कानून 2010 से संबंधित लेख से की गई है ताकि हमारे सभी शिक्षक साथी इस कानून से भली-भाँति अवगत हो सकें। इस कानून

से सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब समय आ गया है कि हमारे शिक्षक साथी भी बच्चों को शिक्षा देने के अपने कर्त्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध हों। शिक्षकों की प्रतिबद्धता ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति की ओर ले जाएगी।

अकादमिक संपादक